संख्या-569/81-2-2023-800(67)/2012

प्रेषक,

नीता चौधरी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर ~~अगस्त~~ 2023

विषय- जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे0 आरक्षित वनभूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मै0 ग्रासीम इण्डिस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षों (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/19811/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2657/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/19811/2016,दिनांक 16.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1252/XIV-505/61 दिनांक 25.04.1964 द्वारा दुद्धी रेंज दुद्धी फारेस्ट डिवीजन में 5.740 एकड़ और 3.61 एकड़ वनभूमि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस, अण्डरग्राउण्ड वाटर पाईप लाईन और ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के लिए 25 वर्षों के लिए लीज पर दी गयी। यह लीज डीड दिनांक 30.04.1970 को निष्पादित की गई। यह लीज डीड दिनांक 01.04.1963 से प्रभावी थी। अतः 25 वर्ष की अवधि दिनांक 31.03.1988 को समाप्त हो गई।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.05.1995 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 (दो) के तहत जनपद सोनभद्र में मै0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस, पानी लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के लिए उक्त लीज के नवीनीकरण हेतु 3.79 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैरवानिकी कार्यों के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी-

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लीज की अवधि दिनांक 31.03.2013 तक होगी।
3. वनभूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु किया जायेगा अन्य किसी कार्य हेतु नहीं। यदि यह पाया गया कि वनभूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोग हेतु किया जा रहा है, तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी और

वनभूमि वन विभाग को वापस हो जायेगी।

4. वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैरवानिकी भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा।

5. उक्त गैरवानिकी भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

3- भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 23.05.1995 में उल्लिखित शर्तों के क्रम में वन अनुभाग-2 के शसनादेश संख्या-जी0आई0-159/14-2-1995-503/1961 दिनांक 16.01.1996 द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रश्नगत 3.79 हे0 वनभूमि के लीज के नवीनीकरण (दिनांक 01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिए) की स्वीकृति प्रदान की गयीः-

(1) उक्त संस्था का भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(2) संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति यदि पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा।

(3). उक्त भूमि संस्था के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि संस्था को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थितिं उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

(4). वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय तब वे आवश्यक समझे, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5). कथित भूमि लीज के नवीनीकरण के बाद भी आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6). याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तरण से पूर्व चिन्हित गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करना होगा।

(7). वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचायें, इसके लिए उक्त संस्था ईधन की लकडी

निःशुल्क उपलब्ध करायेगी या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

(8). वनभूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण यदि कोई हो, तो उ0प्र0 वन निगम द्वारा करवाया जायेगा। यदि किसी कारणवश संस्था को खडे वृक्ष सौंपे जाते है, तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्राप्त किया जायेगा।

(9). वनभूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी, सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा।

4- लीज नवीनीकरण आदेश दिनांक 16.01.1996 की समय-सीमा दिनांक 31.03.2013 को समाप्त हो गई है। किन्तु अनाधिकृत न्यू यूजर एजेन्सी मे0 आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत वनभूमि का प्रयोग किया जाता रहा। लीज नवीनीकरण के बिना ही मा0 उच्च न्यायालय (झारखण्ड, रांची) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के बाद प्रश्नगत 3.79 हे0 वनभूमि का अनाधिकृत प्रयोग एवं अवैधानिक प्रयोग मै0 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा किया जाने लगा। कालान्तर में मै0 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित आनलाइन प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/19811/2016 परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया।

5- वर्तमान प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रश्नगत लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। न्याय विभाग के बहुमूल्य परामर्श के प्रासंगिक बिन्दु निम्नवत है:-

(क) भारत सरकार के स्वीकृति आदेश दिनांक 23.05.1995 के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 16.01.1996 की शर्त संख्या-1 एवं 9 को प्रासंगिक माना है और कहा है कि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के पक्ष पर प्रश्नगत पटटा के नवीनीकरण हेतु रिन्यूलल लीज डीड का निष्पादन नहीं किया गया है, जो शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के शर्त-9 के अनुसार किया जाना आवश्यक था।

(ख) मे0 आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 के पत्र दिनांक 02.12.2014 में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न का भी उल्लेख है- in reply to query raised in the letter of CCF/Nodal Officer, we would like to confirm that the sale of M/S Kanoria chemical and Ind. Ltd. Unit to M/S Kanoria Aditya Birla Chemicals (India) Ltd. was completed on "As-is-where-is-basis."

(ग) शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के शर्त-1 के अनुसार मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड

I/385433/2023

इण्डस्ट्रीज लि० को विचाराधीन 3.79 हे० वनभूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है। अतः मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० की इकाई (यूनिट) का मे० आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि० के पक्ष में "As-is-where-is-basis" पर हस्तान्तरण में विचाराधीन 3.79 हे० वनभूमि विधितः सम्मिलित नहीं माना जा सकता है।

(घ) उपरोक्त के आलोक में विचाराधीन 3.79 हे० आरक्षित वनभूमि का मे० आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि० रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षों हेतु लीज (पटटा) के नवीनीकरण के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लंखनऊ को प्रेषित किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

(ड.) यह भी उल्लेखनीय है कि लीज डीड के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग के स्तर से कोई कार्यवाही किसी कम्पनी के विरूद्ध नहीं की गई है।

अतः उक्तानुसार इंगित तथ्यों एवं न्याय विभाग द्वारा उल्लिखित विधि बाधा के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में विधि सम्मत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मामले में विचारोपरान्त सम्यक निर्णय लिया जा सके।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी
Date: 12-09-2023 11:59:48
(नीता चौधरी)
Reason: Approved
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 683 /11–सी–FP/UP/Others/19811/2016, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 12 ,2023

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अधिकृत प्रतिनिधि, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।